

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या1156 / 2016जिला.....अलवर.....

उनवान - सतीश कुमार पुत्र पूर्णचन्द, अलवर बनाम राजस्थान सरकार, अलवर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	--

10.10.2017


एकलपीठ
श्री राजीव चौधरी-सदस्य

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री हरिप्रसाद वर्मा व राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वह राजस्थान सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ लेते हुए बकाया/कमी मुद्रांक राशि जमा करा दी गई है एवं उक्त निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहता है इसी स्तर पर विद्वान करना चाहते हैं।

उक्त प्रकरण को विद्वानों किए जाने में राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को जरिये विद्वान खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर